

बिहार स्टेट माइनिस्ट्रीज फाइनेंसियल कारपोरेशन लि. पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हॉर्टिन रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975 Fax: 0612-2215994

(Email=minoocorporatna@gmail.com. website:www.bsmlc.org)

संख्या: 154 बी. एस. एफ. एफ. सी. /

पटना, दिनांक: 24/01/18

स्वीकृतदेश

युज्य सम्पत्ति अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजनागत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए जिला स्तरीय चयन समिति से दिनांक-07.02.2017 से 09.02.2017 को दरभंगा जिला के चयनित आवेदकों में से प्रमुखतया प्रभाती द्वारा रिटर्न कमागत प्राप्त कर उनका स्थल जाँच कर स्थल जाँच प्रतिवेदन में ऋण की स्वीकृति के लिए की गयी अन्वेषण के आधार पर फिन 02 लार्जर्को को उनके नाम के सामने ऑफिकल टैंड में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दर्रायि गए ऋण राशि की स्वीकृति दी जाती है। स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात इनके द्वारा समर्पित किये गये कोटेशन के आधार पर वाहन आपूर्तिकर्ता तथा अवशेष राशि लाभार्थी के बैंक खाता में सीधे RTGS/NEFT के माध्यम से अन्तरित करने की अनुमति दी जाती है।

Sl. No.	Name/Father's Name & Address	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing Charge	Net Payable Amount
1.	Mahmud Azam S/o Khusrid Alam, (Four Wheeler) Supplier-VIII-PO-Harsingpur, Shiv Shakti Wahan Pvt. Ltd. NH-57, Near Dilli Darbhanga-846004 (Bihar)	Mahendra Pick-up (PS)	5,00,000.00	2500.00	4,97,500.00
2.	Anjum Iqbal S/o Md. Hatizur Rahman, (Wheeler) Supplier-Shiv Scorio S2 (Four Wheel) Wahan Pvt. Ltd, NH-57, Near Dilli More, Basudevpur, Darbhanga-846004 (Bihar)	846001 Dist.-Darbhanga-PO+PS-Lahiryasari, VIII-Dildarganj, Shakti Wahan Pvt. Ltd, NH-57, Near Dilli More, Basudevpur, Darbhanga-846004 (Bihar)	5,00,000.00	2500.00	4,97,500.00
Total			10,00,000.00	5,000.00	9,95,000.00

स्वीकृत ऋण राशि से वर्गीत टैंड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सम्पत्तियों का कम 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा कम की गयी सम्पत्तियों की शैतिक जाँच कर प्रमुखतया कर्तव्य के प्रभाती द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान वित्तियिक किस्ती अथवा 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

शापक: 154

प्रतिनिधि: महमूद आजम पिता-खुशीद अलम शा.पं-वी.डी.सी.पुर, शा.-बनश्यामपुर, जिला-दरभंगा-847103 / अंजुम इकबाल पिता-मा. हकिजूर रहमान, मा.-दिलदारज, पा.+शा.-लहरियासरय, जिला-दरभंगा-846001 को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

शापक: 154

प्रतिनिधि: ऋण शाखा/लेखा शाखा/लेजर शाखा (कम्प्यूटर सेक्सन)/प्रमुखतया कर्तव्य प्रभाती, दरभंगा को सूचनाएं एवं अनुमतिनाय प्रेषित।

158